

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त उपखण्ड अधिकारी, सैंथल

मुकाम _____ सैंथल _____

.....ममता आदि

बनाम

श्रवण आदि _____

दमा:- उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर 04 / 2025

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---------|---|---|
| 2025 | <p>वादी अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाडी द्वारा वाद पत्र उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं समस्त प्रतिवादीगण की जरिये रजिस्टर्ड एडी से नोटिस की तामील करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 09.04.2025 को पेश हो</p> | <p>446-502 06.03.25</p> |
| 9/4/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी अनुपासिंह पत्रावली पूर्व दिशानुसार पालना की जाकर दिनांक 13/5/2025 को पेश हो।</p> | |
| 13/5/25 | <p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 17/6/25 को पेश हो।</p> | <p>ममता</p> |
| 17/6/25 | <p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 15/7/25 को पेश हो।</p> | <p>Ayushi</p> |
| 15/7/25 | <p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 19/8/25 को पेश हो।</p> | |
| 19/8/25 | <p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 12/9/25 को पेश हो।</p> | |
| 12/9/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अधिवक्ता उपासिंह वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मिश्र तलवी दिनांक 13/5/2025 को पेश किया, जो शांति मिश्र प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि वही सं. 2/2025 के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। कि उनके द्वारा आदि की प्रति स्वप्रमाणित</p> | |



उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

ममता

Ayushi

समता बनाम श्रवण (कावा)

है। अतः वादीया अधिवक्ता को हिदायत दी जाती है कि आगामी पेशी पर वादी संख्या 2 लाख को उपस्थित करें, जिससे प्रार्थना पत्र व आचारवार्ड की छात्रे पर छफ्ताशु (करवाये जा सके। पत्रावली दिनांक 31/01/25 को पेश हो।

31/01/2025 पत्रावली पेश हुई। वादीयान व छात्रेवादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादीयान व वादीयान अधिवक्ता को न्यायालय में बार-बार कक-कककेल आवाज दिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः वादीयान का वाद आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पैरवी में रबारीय लिया जाता है। प्रकरण के सल सुमाए होकर नम्बर से कम हो तथा वेक्टर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
संथल